सौर ऊर्जा नीति–2022 एवं जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पार्क एवं जैव ऊर्जा प्लांट्स के निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.11.2023 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः–

1. श्री अनुपम शुक्ला, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
2. श्री आर0पी0 सिंह, उप सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0के0 सिंह, डी0जी0एम0, एन0यू0पी0पी0एल0।
5. श्री राजेश कुमार, बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0।
6. श्री विवेक तनेजा, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0।
7. श्री मृणाल कुमार सिन्हा, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0।

बैठक में निम्नलिखित जनपदों के अधिकारीगण तथा फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया :–

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी,
2. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
3. अपर जिलाधिकारी, बइराईच।
4. अपर जिलाधिकारी, जालौन।
5. अपर जिलाधिकारी, उन्नाव।
6. अपर जिलाधिकारी, बांदा।
7. अपर जिलाधिकारी, झाँसी।
8. उप जिलाधिकारी, अमेठी।
9. मे0 पेट्रोनेट, एल0एन0जी0 लि0 के प्रतिनिधि।

बैठक में निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा जनपद जालौन में 02 सौर ऊर्जा पार्क/प्रोजेक्ट्स की स्थापना तथा 08 जनपदों में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा जनपद वार परियोजनाओं के संबंध में निम्नवत विचार–विमर्श किया गयाः–

(क) सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. जनपद–जालौन

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आर.जी.ओ. के अनुसार नेवयली उत्तर प्रदेश पावर लि0 (एनएलसी एवं

Scanned with OKEN Scanner

यूपीआरवीयूएलएल का संयुक्त उपक्रम) द्वारा जनपद जालौन में 150 मेगावाट क्षमता का नेवयली सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना जानी है। नेवयली सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु जनपद–जालौन की तहसील–कालपी के ग्राम–मानपुर में 169.52 एकड़ एवं ग्राम–सरैनी मुस्तकिल में 556.61 एकड़ चिन्हांकित की गयी है। जिलाधिकारी जालौन के पत्र संख्या 435, दिनांक 19.10.2023 से चिन्हांकित 169.52 एकड एवं आदेश संख्या 436 दिनांक 19.10.2023 से 556.61 एकड़ सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दी गयी है। प्रस्तावित 150 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट से उत्पादित विद्युत को नेवयली उत्तर प्रदेश पावर लि0 द्वारा 1980 मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के सापेक्ष 40 प्रतिशत आर.जी.ओ. अनुसार एवं 75 प्रतिशत विद्युत यूपीपीसीएल को देने हेतु पीपीए की कार्यवाही प्रकियाधीन है। नेवयली उत्तर प्रदेश पावर लि0 द्वारा प्रस्तावित 150 मेगावाट क्षमता सोलर पावर प्रोजेक्टस से ऊर्जा निकासी हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0 (यूपीपीटीसीएल) के महेवा,कालपी (400/132/33केवी) ग्रिड सबस्टेशन पर कनेक्टिविटी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 150 मेगावॉट नेवयली सोलर प्रोजेक्ट हेतु चिन्हांकित 169.52 एकड एवं 556.61 एकड़ कुल 726.13 एकड़ सरकारी भूमि नेवयली उत्तर प्रदेश पावर लि0 (एनएलसी एवं यूपीआरवीयूएलएल का संयुक्त उपक्रम) को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. जनपद–जालौन

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड) का संयुक्त उपक्रम द्वारा जनपद जालौन में 1200 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद–जालौन की तहसील–माधौगढ़ के ग्राम–रामपुर जागीर में कुल 204.32 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित 204.32 एकड़ सरकारी भूमि को जिलाधिकारी, जालौन के पत्र संख्या 432, दिनांक 17.10.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है। बीएसयूएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विकय किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 204.32 एकड़ सरकारी भूमि बीएसयूएल लिमिटेड को रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निवेशकों को सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0– 1050/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023, दिनांक 03.08.2023 तथा शासनादेश सं0–23/2023/अमुस–330/एक–1–2023–रा0–1, दिनांक 10.10.2023 के अन्तर्गत निम्नानुसार जनपदों में भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत हो गयी है :–

S. No.	District	Tehsil	Village	Gata no.	Land available (Area in acres)	Land to be allotted (Area in acres)
1.	Unnao	Purva	Jaisingh Kheda	250M	20.0155	20.0155
2.	Pilibhit	Bisalpur	Rajupurkundri	1236	10	10
3.	Barabanki	Haidergarh	Sonikpur	389MI & 371	12.4	12.4
4.	Jalaun	Urai	Makhrecha	316 kha, 324, 344 kha	124	25
5.	Chandauli	Naugarh	Chakchoia	RG No.1/1	22.88	20
6.	Amethi	Tiloi	Khalishpur	1409,1412,1420, 1422	7.5	7.5
7.	Bahraich	Kuiser Ganj	Gajipur	298MI, 299	15.71	13.88
8.	Kannauj	Tirwa	Jankhat	4859	17.5	17.5

1. जनपद–उन्नाव

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 20 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–उन्नाव में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–उन्नाव की तहसील–पुरवा के ग्राम–जय सिंह खेड़ा में कुल 20.01 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी, उन्नाव के पत्र सं0–342/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 21.08.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है।

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–उन्नाव में अन्य फर्मों की तुलना में पहले आवेदन किया गया है, जिसके आधार पर भूमि रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

2. जनपद– पीलीभीत

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 20 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–पीलीभीत में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–पीलीभीत की तहसील–बीसलपुर के ग्राम–राजूपुर कुण्डरी में कुल 10 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी, पीलीभीत के पत्र सं0–104/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 20.09.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है।

जनपद–पीलीभीत में सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु यद्यपि एवरएन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेण्ट प्रा0लि0 द्वारा पहले आवेदन किया गया है, परन्तु एवरएन्वायरो के 03 प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा रिलायन्स इण्डस्ट्रीज का नेट वर्थ भी अन्य फर्मों से अधिक होने के कारण भूमि रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

3. जनपद–बाराबंकी

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 25 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–बाराबंकी में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–बाराबंकी की तहसील–हैदरगढ़ के ग्राम–सोनिकपुर में कुल 12.4 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को आयुक्त, अयोध्या मण्डल के पत्र सं0– आर0ए0 द्वितीय/8–1(2023–24)81, दिनांक 19.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

यद्यपि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा पहले आवेदन किया गया है, किन्तु दो जनपदों में आई0ओ0सी0एल0 को सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु भूमि आवण्टित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अनुबन्ध निष्पादन आदि की कार्यवाही फर्म द्वारा अभी तक नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद–बाराबंकी की तहसील–नवाबगंज में रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा 20 टी0पी0डी0 क्षमता का प्लॉण्ट पहले से ही स्थापित किया जा रहा है, फीड स्टॉक के प्रबन्धन के दृष्टिगत रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को भूमि रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

4. जनपद– जालौन

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 25 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–जालौन में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–जालौन की तहसील–उरई के ग्राम–मकरेछा में कुल 124 एकड़ सरकारी भूमि वैकल्पिक ऊर्जा के पक्ष में उपलब्ध है। चिन्हांकित भूमि में से प्लॉण्ट की स्थापना हेतु 25 एकड़ भूमि मे0 रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध करायी जा सकती है।

यद्यपि मे0 निब्ल्यू बिजनेस प्रा0लि0 द्वारा पहले आवेदन किया गया है, किन्तु निब्ल्यू द्वारा कोई रूचि प्रदर्शित न करने व रिलायन्स इण्डस्ट्रीज का नेट वर्थ अधिक होने के दृष्टिगत भूमि रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

5. जनपद–चन्दौली

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 20 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा जनपद–चन्दौली में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–चन्दौली की तहसील–नौगढ़ के ग्राम–चकचोइया में कुल 9.262 हे0 में से 8.96 हे0 (20 एकड़) सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी–चन्दौली के पत्र सं0–2057/7–सा0भू0आ0/2023, दिनांक 25.10.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

जनपद–चन्दौली में रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 एक मात्र फर्म द्वारा आवेदन किया गया है, जिसके दृष्टिगत भूमि रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

6. जनपद– अमेठी

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 07 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 द्वारा जनपद–अमेठी में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–अमेठी की तहसील–तिलोई के ग्राम–खालिशपुर में कुल 7.5 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी–अमेठी के पत्र सं0–649/डी0एल0आर0सी0/23, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

Scanned with OKEN Scanner

जनपद–अमेठी में पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 ने रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 से पहले भूमि हेतु आवेदन किया है, जिसके दृष्टिगत भूमि पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

7. जनपद– बहराईच

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 07 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 द्वारा जनपद–बहराईच में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–बहराईच की तहसील–कैसरगंज के ग्राम– गाजीपुर में कुल 6.359 हे0 भूमि में से 5.619 हे0 (13.88 एकड़) सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी–बहराईच के पत्र सं0–424 /बारह–ए/डी0एल0आर0सी0/भूमि/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

यद्यपि जनपद–बहराईच में मे0 रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा मे0 पेट्रोनेट, एल0एन0जी0 लि0 से पूर्व में आवेदन किया गया है, साथ ही मे0 रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को 05 अन्य जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मे0 पेट्रोनेट, एल0एन0जी0 लि0 को सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना हेतु एम0ओ0पी0एन0जी0 द्वारा अनुशंसा की गयी है। जिसके दृष्टिगत भूमि पेट्रोनेट एल0एन0जी0 लि0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

8. जनपद– कन्नौज

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत 05 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा जनपद–कन्नौज में सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद–कन्नौज की तहसील–तिर्वा के ग्राम–जनखत में 17.5 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि को जिलाधिकारी–कन्नौज के पत्र सं0–1871/डी0एल0आर0सी0/सी0बी0जी0 प्लांट/ अति0ऊ0स्रो0–एच0पी0सी0एल0–भूमि पुनर्ग्र0, दिनांक : 29.09.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गई है।

जनपद–कन्नौज में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, एक मात्र फर्म द्वारा आवेदन किया गया है, जिसके दृष्टिगत भूमि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी नेडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

समिति का मत एवं निष्कर्ष

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार सरकारी भूमि उक्त सम्बन्धित फर्मों को लीज पर सी0बी0जी0 संयंत्रों की स्थापना हेतु उपलब्ध कराने का सैद्धान्तिक अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि निवेशकर्ता उपलब्ध भूमि का निरीक्षण कर भूमि की उपयुक्तता एवं अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन कर लें तथा अतिरिक्त भूमि स्वयं के संसाधनों से प्राप्त करने सम्बन्धी सहमति, फारवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज तथा वित्तीय संसाधन के साथ अपनी डी0पी0आर0 30 नवम्बर, 2023 तक राज्य स्तरीय समिति से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक, यूपीनेडा को प्रस्ताव उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में समिति भूमि अन्य विकासकर्ताओं को आवंटित करने पर विचार कर सकती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
संख्या–1615/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023
लखनऊ : दिनांकः 17 नवम्बर 2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी–बॉदा, झांसी, जालौन, उन्नाव, पीलीभीत, कन्नौज, अमेठी, बहराइच, चन्दौली एवं बाराबंकी।
3. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
4. उपरोक्तानुसार संबंधित फर्म (द्वारा यूपीनेडा)।
5. संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा (द्वारा यूपीनेडा)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।